


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 1895/2014 .....जिला.....भरतपुर.....

उनवान- सहायक आयुक्त, वृत बी, भरतपुर बनाम एस.बी.एम. ऑयल मिल, प्रा0लि0, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.10.2017	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री नत्थूराम, सदस्य</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। अपीलार्थी विभाग की ओर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विद्वा करने का निवेदन किया।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी भरतपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रत्यार्थी ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करते हुए प्रभावित राशि जमा करा दी गई है। इसलिए कोई मांग बकाया नहीं है। इस कारण विभाग हस्तगत प्रकरण को विद्वा करने की अनुमति चाहता है तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण विद्वा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी राजस्व के प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण विद्वा करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्तुत अपील जरिये विदद्वावल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">                       सदस्य                      राजस्थान कर बोर्ड                      अजमेर                 </p>	